Shri Ansar Harvani who has been born and bred in the Hindi-speaking area could not understand? For, we had seen recently that the Hindi equivalent for an engineer in the PWD was such as could not be understood by him.

Shri Bhakt Darshan: As I have said in reply to the earlier question, the Standing Commission on Scientific and Technical Terminology has been charged with the task of evolving a terminology which is primarily suited to the conditions in the Hindi-speaking areas, but it will be adopted by the other States also after adjustments; that is our hope.

अबोहर में मकानों का आवंटन

+

*776. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री गौरी शंकर कक्कड़ :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :
श्री बड़े :
श्री माते :
श्री सिंहासन सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री शिव नारायण :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री दे० शि० पाटिल :
श्री प० ह० भील :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती:
श्री यु० दे० सिंह:
श्री लहरी सिंह :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अबोहर, पंजाब में उन मकानों का, जिनमें अब तक 400 शरणार्थी परिवार रहते थे, सरकार ने आवंटन रद्द कर दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन मकानों को अन्य लोगों को किराये पर उठा दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री म० मो० दास) : (क) अबोहर, जिला फिरोजपुर पंजाब में जम्मू और सुखेरा की बस्तियों में नियमों के अनुसार मकानों की एलाटमेंट रद्द कर दी गई थी ।

(ख) जिन लोगों को ग्रामीण भूमि दी गई है उस भूमि के साथ निष्कान्त मकान भी उन ही को दे दिये गये हैं ।

(ग) पहली एलाटमेंट गलत और अनियमित थी क्योंकि अबोहर के कुछ वास्तविक एलाटियों को मकान न देकर दूसरे गांवों के गैरदावेदारों को एलाट कर दिये गये थे जिनको वास्तव में अबोहर के भूमि एलाटियों पर तरजीह नहीं दी जा सकती थी ।

श्री हरि विष्णु कामत : ज्येष्ठ मन्त्री पढ़ें इसको ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जिन चार सौ परिवारों को हटाया जा रहा है, मेरी जानकारी यह है कि ये परिवार भी शरणार्थी हैं और जिन को एलाट किया जा रहा है वे भी शरणार्थी हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इन चार सौ परिवारों ने क्या गुनाह किया है कि जब ये पन्द्रह साल से वहां रह रहे हैं बिना कोई आल्टरनेटिव एकमोडेशन दिये हुए इनको वहां से हटाया जाए ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो जवाब दिया है उसको जहां तक मैं समझा हूं, यह दिया है कि वे लैंड भी रखते थे । हमने ला पास किया हुआ है कि जो लैंड के एलाटी हैं उनको जमीन के साथ शहरों में मकान नहीं मिल सकता है और उसी गांव में मिलेगा जहां उनको लैंड का एलाटमेंट है । ये वे घराने थे जिनको लैंड्ज़ मिली हुई थीं, इसलिए वहां उनको गांवों में एलाटमेंट हो सकता था, यहां नहीं हो सकता था । यह जवाब उन्होंने दिया है, जहां तक मैं समझा हूं ।

Dr. M. M. Das: There is also another thing. Many of the occupants of these houses were not displaced persons at all.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : चार सौ परिवार जिन को गवर्नमेंट की इस योजना का शिकार होना पड़ा है, इनमें कुल मिला कर कितने सदस्य हैं और क्या मानवीय सहानुभूति के नाते सरकार कुछ और विकल्प इनके सम्बन्ध में सोच रही है ?

Dr. M. M. Das: I do not know the total number of members in these 400 families. But perhaps the majority of them have been given alternative accommodation to which they were entitled. Even those members who were not entitled but who had occupied these houses before 31st December, 1957 have been provided with alternative accommodation at Government cost even though they were not entitled.

Mr. Speaker: The hon. Member wants to know whether on humanitarian grounds they have been given any help, because sometimes an allottee who has got one-fourth of an acre in a village cannot live there on that land, and if he is asked to stay there, it would be difficult for him to do so.

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : उनमें से 223 परिवार ऐसे हैं जो कि मकान लेने के अधिकारी थे, लेकिन यहां नहीं । यहां के मकान तो उन्हीं को दिये जायेंगे कायदे के हिसाब से जिनको इसकी बस्ती के पास खेती की जमीन दी गई है । जो लोग यहां से हटाये गये हैं उनमें से 223 ऐसे हैं जो कि मकान के अधिकारी हैं । जैसा कि प्रकाशवीर शास्त्री जी चाहते हैं पंजाब गवर्नमेंट उनके लिए आलटरनेटिव जगह मुआवजे में दूसरी जगह लेने का इन्तजाम कर रही है । कुछ का हो भी गया है ।

Shri Iqbal Singh: Is it a fact that these 400 families are also refugee families, displaced persons who have been allotted land as displaced persons? That is the main question. Will Government consider providing alternative accommodation to them, whether allottee or non-allottee, evacuee—or non-evacuee, because the people who came from West Pakistan are entitled to it?

Shri Tyagi: The difficulty in this case has arisen because the spokesman of these allottees, about whom my hon. friend is speaking—I do not want to name him—managed to give a wrong application to the authorities saying that in that village in which lands were allotted to them there was scarcity of houses, and in this village there were one thousand houses and therefore, they might be allotted there. The officers of the Punjab Government, the local officials, somehow or other allotted those houses against the rules because outsiders belonging to other villages would not be allotted here.

Then again in the matter of allotment, as the matter went to court, it was remarked that instead of getting the valuation done by the PWD engineers etc. it was done by the very applicant who was managing to come into this and get palatial buildings allotted to him. This was the court judgment, that these families were not authorised to be allotted in this village. The Punjab Government is making alternative arrangements for them.

श्री गौरी शंकर कक्कड़ : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब अनियमित ढंग से पन्द्रह वर्ष तक यह 400 परिवार उन मकानों में रहे और उनकी जांच नहीं हुई तो क्या कारण है कि बिना दूसरी व्यवस्था किये हुए एक दम से उनको बेघर कर दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब तो दे दिया गया है ।

श्री त्यागी: अदालत के फैसले के मुताबिक काम हुआ । पन्द्रह वर्ष हो जाने का कारण यह है कि वह लोग बार बार हाईकोर्ट वगैरह जाते

रहे, स्टे आर्डर्स होते रहे। हाईकोर्ट के स्टे आर्डर्स के बाद गवर्नमेंट अपने काम को नहीं कर सकती थी।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या सरकार को मालूम है कि इन 400 परिवारों में से कितने लोगों ने गांवों में जो भूमि अलाट की गई थी उसको बेच दिया और वे शहर में रहना चाहते हैं।

श्री त्यागी : उनमें से 223 परिवार ऐसे हैं जो अभी तक जमीन और मकान रखने के कायदे के अनुसार अधिकारी हैं। उनके वास्ते पंजाब गवर्नमेंट प्रबन्ध कर रही है।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती: बेचा कितनों ने है यह बतलाइये।

श्री त्यागी : इसके लिये मैं आनरेबल मेम्बर से प्रार्थना करूंगा कि वह एक अलग सवाल का नोटिस दे दें।

Hamycin

\+

*777. **Dr. Chandrabhan Singh:**
Shri Vidya Charan Shukla:
Shri R. S. Pandey:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply to Unstarred Question No. 466 on the 25th November, 1964 and state:

(a) whether the Government have completed negotiations regarding commercial exploitation of Hamycin with foreign collaboration;

(b) whether the agreement has also been signed with some firms; and

(c) if so, the broad outlines of the agreement?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) The negotiations with foreign firms are continuing.

(b) and (c). Do not arise.

Shri Ranga: What is this substance?

Mr. Speaker: It is for doctors.

Dr. Chandrabhan Singh: At what stage are we in the negotiations?

Shri Alagesan: The drug has been sent to foreign firms, especially a firm in USA. They have held large-scale clinical trials and have found the results very encouraging. It is likely that we will enter into an agreement with them, and then this will be put on the market.

Shri Kapur Singh: I want to know whether the initial claim of the Government that this concoction cures dandruff is still valid.

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir): If my hon. friend wants to make the experiment, we shall give him all facilities.

Shri Kapur Singh: That is not my question.

Mr. Speaker: That is the opinion of Government.

Shri Kapur Singh: It is not a question of opinion. This was the claim officially made. That claim cannot be sustained. I want to know whether they still stick to that claim.

Mr. Speaker: Did Government make that claim that it is a curative for dandruff?

Shri Alagesan: That I do not find. It is a cure for oral thrush in children.

Mr. Speaker: Government did not make that claim.

Shri Kapur Singh: The literature which they issued to the foreign countries makes that claim.

Mr. Speaker: If he is not making that claim now.....